वर्तमान भारतीय परिप्रेक्ष्य में कामकाजी महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति

डॉ० अनिता जोशी*, डॉ० चन्द्रावती जोशी*

शोध सार–

प्रस्तुत शोध पत्र में वर्तमान भारतीय संदर्भ में कामकाजी महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया गया है। वर्तमान महिला घरेलू छवि को तोड़कर कामकाजी महिला के रूप में पुरूषों के समकक्ष प्रतिस्थापित हो रही है। विभिन्न योजनाओं के तहत किये गये सरकारी प्रयासों ने उसकी सशक्तता में सहायता दी है। प्रस्तुत शोधकार्य का उद्देश्य विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के तहत किये गये सरकारी प्रावधानों का अध्ययन करना तथा कामकाजी महिलाआ की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करना है। इसके लिए विभिन्न द्वितीयक स्रोतों द्वारा सामग्री का संकलन कर उनका विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में पाया गया कि स्वतंत्रता के पश्चात् किये गये विविध सरकारी प्रयासों के फलस्वरूप महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। परिवार की सामाजिक व आर्थिक सशक्तता का माध्यम बनकर वे स्वयं भी व्यक्तिगत रूप से सशक्त हुई हैं। परम्परा से आधुनिकता की ओर संक्रमण के इस दौर में आपसी तालमेल के कुछ मानक पुरूष व महिला को मिलकर निर्धारित करने होंगे, तभी महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक सशक्तता सार्थक होगी।

प्रस्तावना

किसी भी समाज की तस्वीर बदलने में महिलाओं का योगदान महत्त्वपूर्ण होता है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि मुझे योग्य माता दे दो मैं तुमको योग्य राष्ट्र दूँगा। आज हर क्षेत्र में महिलाएँ पुरूषों के कन्धे से कन्धा मिलाकर कार्य कर रही हैं। महिला सशक्तीकरण के दौर में महिलाओं ने घर की देहड़ी से बाहर कदम बढ़कर स्वयं कामकाजी महिला होने का गौरव हासिल किया है तथा स्वयं की व समाज की स्थिति को परिवर्तित करने का बीड़ा उठाया हैं। पुरातन समाज में किसी की माँ अथवा बहू या पत्नी के रूप में पहचानी जाने वाली महिला ने अपनी परम्परागत छवि को तोड़ा है। आज उसकी स्वयं की अपनी पहचान है। उसने पुरुषों के समकक्ष स्तर, अवसर तथा सामाजिक, आर्थिक व कानूनी अधिकार प्राप्त कर लिए हैं। एक कामकाजी महिला की स्थिति का ऑकलन करना एक कठिन कार्य है। यूँ तो प्रत्येक महिला कामकाजी होती है। परन्तु घरेलू महिला के कामकाज का आर्थिक मूल्य न होने के कारण उसे कामकाजी की श्रेणी में नहीं रखा जाता। पर्वतीय क्षेत्रों के संदर्भ में यदि देखा जाय तो यहाँ महिला ही घरेलू जीवन की धुरी होती है और कामकाज के बोझ के तले दबी रहती है, परन्तु उसके कार्य का आर्थिक रूप से कोई मूल्यांकन न होने के कारण उसे कोई महत्त्व नहीं दिया जाता। यूँ तो सामान्य रूप से एक महिला का जीवन सदैव ही परिवार को समर्पित रहा है, परन्तु आज महिला परिवार से इतर स्वयं के लिए भी सोचने लगी है, परन्तु क्या उसकी इस स्थिति को समाज ने स्वीकृत किया है? इस शोध पत्र के माध्यम से यही जानने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द

कामकाजी महिला, आर्थिक सशक्तता, सामाजिक सशक्तता, लैंगिक समानता, पंचवर्षीय योजना

शोध का उद्देश्य–प्रस्तुत शोध के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये है–

1 महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के संदर्भ में किये गये सरकारी प्रयासों (विशेष रूप से विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किये गये प्रयास) का अध्ययन करना।
2 कामकाजी महिलाओं की सामाजिक स्थिति का विश्लेषण करना।
3 कामकाजी महिलाओं की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करना।

*बी.एड.विभाग एम.बी.राज.स्ना.महाविद्यालय हल्द्वानी, नैनीताल

शोध प्रविधि–प्रस्तुत शोध की प्रकृति विश्लेषणात्मक है, जिसके लिए विविध द्वितीयक स्रोतों द्वारा ऑकड़ों का संकलन किया गया है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त लिखित सामग्री के अध्ययन के आधार पर महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया गया है।

प्रस्तुत शोध कार्य में कामकाजी महिला का तात्पर्य ऐसी महिला से है जिसे किसी भी प्रकार के शारीरिक अथवा मानसिक कार्य के बदले आर्थिक मूल्य प्राप्त होता है। सामाजिक स्थिति का तात्पर्य महिला को उसके कार्यों के आधार पर समाज में प्राप्त प्रतिष्ठा से है। इसी प्रकार एक आर्थिक ईकाई के रूप में महिला के कार्यों का ऑकलन तथा स्वयं व परिवार के विकास में उसकी भूमिका को आर्थिक स्थिति के रूप में लिया गया है।

महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के संदर्भ में किये गये सरकारी प्रयास–

1950 में भारत के संविधान के लागू होने के साथ ही भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक के समान विकास हेतु विविध प्रावधान किये गए चाहे वह महिला हो या पुरूष। संविधान के अनुच्छेद–15 द्वारा लैंगिक आधार पर भेदभाव का निषेध सुनिश्चित किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। लैंगिक समानता का तात्पर्य स्त्री तथा पुरूष दोनों को अवसर की समानता उपलब्ध कराने से है। महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक हितों की उन्नति हेतु 1953 में भारत सरकार ने केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड स्थापित किया गया। 1954–55 में राज्य स्तर पर सोशियल वेलफेयर एडवाइजरी बोर्ड स्थापित किये गये। 1976 में सामाजिक विकास मंत्रालय के अधीन महिला कल्याण व विकास ब्यूरो (Women's Welfare and development Burearo) की स्थापना की गयी। 1982 में ड्वकरा योजना (DWCRA-Development of Women and Children in Rural Areas) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही महिलाओं को समूहों में गठित कर स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये गये। 1997 में स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण रोजगार योजना प्रारम्भ होने के बाद 1999 में ड्वकरा योजना को इसमें समाहित कर दिया गया। 1985 में महिला व बाल विकास विभाग की स्थापना की गयी। महिला मण्डलों का गठन, तथा विविध सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। महिला संगठनों को मजबूती प्रदान करना, मातृत्व लाभ, महिलाओं में साक्षरता प्रसार, कामकाजी महिलाओं के बच्चों हेतु क्रेंच खोलना जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी गयी। कई स्वयं सहायता समूहों तथा महिला संगठनों ने भी महिलाओं को कौशल वृद्धि करने तथा उद्यमिता के अवसर प्रदान किये है। महिलाओं में निहित कौशल को लघु उद्यागों के माध्यम से विस्तारित कर उन्हें आर्थिक व सामाजिक स्तर पर स्थापित करने का प्रयास किया गया है (paycheck.in)। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएँ परम्परागत रूप से किये जाने वाले विविध कार्यों जैसे बड़ी, चिप्स, पापड़, अचार बनाने तथा ऐपण, सिलाई, कढ़ाई जैसे कार्यों के माध्यम से आर्थिक सशक्तता प्राप्त कर रहीं हैं। साथ ही घरेलू कार्यों को बाजार में पहचान दिलाने के साथ ही खुद को भी समाज में प्रतिस्थापित कर रहीं हैं।

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किये गये प्रयास–

महिलाएँ समाज का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। महिला विकास के संदर्भ में प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56) के अन्तर्गत केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड स्थापित किया गया तथा राज्य स्तर पर सोशियल वेलफेयर एडवाइजरी बोर्ड स्थापित किये गये। द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–61) में सघन कृषि विकास कार्यक्रमों को महिला सशक्तिकरण से जोडा गया। तृतीय (1961–66) व चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969–74) के अन्तर्गत महिलाओं में शिक्षा के प्रसार पर विशेष बल दिया गया। पॉचवी पंचवर्षीय योजना (1974–79) में महिलाओं की आय के सृजन व प्रशिक्षण पर मुख्य बल दिया गया। छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85) के अन्तर्गत महिला कल्याण के स्थान पर महिला विकास के प्रत्यय को रखा गया तथा यह इंगित किया गया कि विकास हेतु आवश्यक संसाधनों तक महिलाओं की पहुँच न होना उनके विकास की सबसे बड़ी बाधा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90) के अन्तर्गत लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण के विविध आयामों– आत्मविश्वास, जागरूकता व कौशल विकास पर बल दिया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97) में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से निचले तबके की महिलाओं के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया। नवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) में महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रमों पर जोर दिया गया। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) के अन्तर्गत महिलाओं को प्रशिक्षण, रोजगार तथा आय संवर्द्धन तथा लैंगिक न्याय के माध्यम से उनके सामाजिक व आर्थिक विकास का प्रयास किया गया (राव, 2018)। ग्यारहवीं

पंचवर्षीय योजना (2007–12) के अन्तर्गत घरेलू हिंसा से सुरक्षा, महिला स्वास्थ्य, आर्थिक सशक्तिकरण तथा जेण्डर बजटिंग जैसे– पहलुओं पर बल दिया गया, साथ ही यह सुनिश्चित करने पर बल दिया गया कि सरकारी स्तर पर संचालित समस्त योजनाओं में कम से कम 33 प्रतिशत लाभार्थी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से महिलाऐं अथवा लड़कियाँ ही हों (www.wcd.nic.in)। बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) में महिला के आर्थिक विकास को परिवार व समाज में सम्मान प्राप्त करने का महत्त्वपूर्ण साधन मानते हुए संसाधनों तक उनकी पहुँच व संसाधनों पर नियंत्रण की प्रक्रिया को महत्त्व प्रदान किया गया। उन्हें तकनीक, शिक्षा व कौशल सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान करने पर बल दिया गया। शिक्षा प्रणाली में लैंगिक संवेदनशीलता को स्थान देने पर बल दिया गया (planningcommission .nic.in)।

कामकाजी महिलाओं की सामाजिक स्थिति–

पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि महिलाओं की स्थिति देखकर ही किसी राष्ट्र की उन्नति का पता लगाया जा सकता है। भारतीय संदर्भ में आज महिलाएँ संक्रमण के दौर से गुजर रही हैं। वे घरेलू से कामकाजी स्तर की ओर कदम बढा रही हैं। एक तरफ वे अपने परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हुई हैं, वहीं दूसरी ओर कार्यस्थल पर भी अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित कर रही है (www.merinews.com) कामकाजी महिलाओं का शिक्षा स्तर अच्छा होने के कारण उनके पास जानकारियाँ अधिक होती हैं तथा उनका मानसिक स्तर सशक्त होता है। कार्यक्षेत्र में नित्य नये अनुभव, नयी समस्याएँ उसके मानसिक स्तर को विकसित करते हैं, जिससे उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। अपने कार्यक्षेत्र से प्राप्त अनुभव के आधार पर वे प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य क्षेत्रों में करने में सक्षम होती हैं। गोला (2016) के अनुसार, ''पिछले पाँच दशकों में महानगरीय क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं की जिम्मेदारियों में 35 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। महिला सशक्तीकरण के इस युग में कामकाजी महिला को सामाजिक रूप से अधिक सम्मान प्राप्त होता है। सामाजिक उत्सवों में उसे अन्य महिलाओं से उच्चतर आँका जाता है। समाज को कुछ देने का सुअवसर तथा स्वयं अपनी सुदृढ़ पहचान बनाने का सुअवसर उसे प्राप्त होता है। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान सिखाया नहीं जा सकता। परिस्थितियों के अनुरुप ये प्रवृत्तियाँ स्वयं विकसित होती हैं'' (स्ट्रोमक्विस्ट, 2005)। सशक्तिकरण का तात्पर्य महिला को इतना कुशल बनाना होता है कि वह अपने आस–पास सामाजिक, आर्थिक वातावरण का लाभ उठा सके व अपनी भावनाओं व इच्छाओं को दृढ़ता के साथ अभिव्यक्ति कर सके। इस दृष्टिकोण से एक कामकाजी महिला एक सशक्त महिला की श्रेणी में आती है। महानगरीय संस्कृति में परिवार में सांस्कृतिक मूल्यों के सृजन के संदर्भ में उसकी भूमिका और भी अधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पारिवारिक वातावरण के रूप में संयुक्त परिवार के अन्य सदस्य या आस–पड़ोस का योगदान नगण्य होता है। विपरीत इसके पढ़ी–लिखी होने के बावजूद भी महिलाएँ घरेलू वातावरण में अन्ध विश्वास व दकियानूसी विचारधाराओं का शिकार हो जाती हैं, क्योंकि वातावरण एक सशक्त कारक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। घरेलू महिलाएँ आमतौर पर जीवन के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में निर्णय लेने के संदर्भ में पुरुषों पर ही आश्रित रहती हैं, जबकि पेज (1990) के अनुसार, ''अपने जीवन को स्वयं निर्देशित व नियंत्रित करने की क्षमता ही सशक्तिकरण कहलाती है। घर से बाहर स्वयं निर्णय लेने के कारण कामकाजी महिलाएँ सशक्तता के इस स्तर को प्राप्त कर लेती हैं।''

कामकाजी महिलाओं की आर्थिक स्थिति–

आर्थिक रूप से भी कामकाजी महिलाएँ सशक्त होती हैं, इसी कारण अपनी आवश्यकताओं को महत्त्व दे पाती हैं तथा परिवार को भौतिक सुख–सुविधाएँ प्रदान करते हुए सामाजिक व आर्थिक स्तर को बढ़ाने में सहायक होती हैं। गोला (2016) के अनुसार, ''महिलाएँ विशेषकर महानगरों में अपने घर परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उठाती हैं तथा सशक्तिकरण की पहचान के रूप में विद्यमान महिलाएँ अपने घरेलू कामकाज हेतु किसी एक व्यक्ति को रोजगार भी दे पाती है।'' स्ट्रोमक्विस्ट (2005) के अनुसार, ''आर्थिक सशक्तिकरण का तात्पर्य है कि स्त्री किसी उत्पादन कार्य द्वारा स्वायत्तता प्राप्त कर पाये। वर्तमान समाज में पहचान स्थापित करने हेतु आज 'फेमिली स्टेट्स' ही सबसे महत्त्वपूर्ण बन गया है।'' अतः इस स्टेट्स की प्राप्ति हेतु महिलाएँ सामाजिक व आर्थिक सशक्तता के हर पैमाने पर स्वयं को मजबूती से खडा रखना चाहती है। इस तरह वे व्यक्तिगत सशक्तता की ओर कदम बढ़ा रही हैं। आर्थिक स्थिति के आँकलन हेतु उनकी व्यक्तिगत स्थिति के संदर्भ में यदि देखा जाय तो वह आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं। इस सशक्तता के बल पर वे स्वयं के तथा अपने बच्चों के हित के संदर्भ में निर्णय लेने लगी हैं।

आर्थिक अशक्तता के कारण प्राचीन समय में सदैव पुरूष (मशः पिता, पति, पुत्र) के अधीन रहने वाली महिला कामकाजी होने के कारण स्वनिर्देशित होने की स्थिति को प्राप्त कर चुकी है। आर्थिक सशक्तता के बल पर वह घरेलू समस्याओं के समाधान का हर सम्भव प्रयास करती है, तथापि पैसा हर समस्या का समाधान तुरन्त नहीं करता। यदि घरेलू नौकर काम छोड़कर चला जाय तो उसका प्रतिस्थानी तुरन्त मिलना बड़ा कठिन है। महानगरीय क्षेत्रो में जहां महिलाएं निजी क्षेत्रों में कार्यरत है। घर से कार्यस्थल तक पहुंचने में लगने वाला समय तथा कार्य समय को देखा जाय, तो महिला 12 घंटे घर से बाहर बिताती है। केवल चार घंटे का समय ही उसके पास पारिवारिक संबंधों के निर्वहन के लिए बचता है, परन्तु परिवार, समाज व कार्य स्थल के उत्तरदायित्वों के बीच समायोजन की कोशिश में ये सदैव लगी रहती हैं। समायोजन की इस प्रक्रिया में यद्यपि तनावग्रस्तता की स्थितियँ भी आती हैं, परन्तु इनकी सशक्तता इन परिस्थितियों से उबरने में सहायक होती है, परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में 90 प्रतिशत महिलाएँ आज भी अकुशल श्रमिक है, जिस कारण उन्हें उनके श्रम का उचित मूल्य नहीं प्राप्त हो पाता है। अकुशल होने के कारण उत्पादित माल पर भी उनका कोई नियंत्रण नहीं रह पाता है (sodhganga.inflibnet.ac.in)।

निष्कर्ष–

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किये गये सरकारी प्रयासों के परिणाम स्वरूप महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ, जिसके फलस्वरूप 1951 मे महिला साक्षरता का प्रतिशत 8. 86 था, जो 2011 में 65.46 प्रतिशत तक बढ़ गया(स्रोत–जनगणना 2011)। यह भी स्पष्ट है कि निश्चित रूप से उनके साक्षरता स्तर के बढने के साथ ही उनकी कामकाज की स्थितियों में भी परिवर्तन हुआ है। 1950 के दशक में जहाँ महिलाओं की भूमिका घर तक सीमित थी वहीं आज के दशक में महिलाओं में कामकाजी होने की प्रवृत्ति बढ़ी है। वे घरेलू के साथ ही बाहरी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने लगी हैं। विभिन्न प्रकार के घरेलू बिलों के भुगतान से लेकर परिवार के अन्य सदस्यों की शिक्षा व स्वास्थ्य संरक्षण की जिम्मेदारी महिला ही निर्वहन कर रही है। भादुड़ी (2015) ने भी इंगित किया है कि वर्तमान में कामकाजी महिलाएँ दोहरी चुनौतियों का सामना कर रही हैं।

यद्यपि महिला व पुरूष दोनों ही पारिवारिक उत्तरदायित्वों के लिये सम्यक रूप से जिम्मेदार हैं। तथापि परम्परागत परिवेश में पले–बढ़े होने के कारण पारिवारिक उत्तरदायित्व महिलाएँ स्वयंमेव अपने ऊपर ले लेती है। परिवार की धुरी मुख्यतः महिला को इसलिए सम्भवतः माना जाता है। सामाजिक स्थिति के संदर्भ में भी यद्यपि महिला की समाज में एक पहचान होती है। घरेलू महिला की तुलना में समाज में उसका उच्चतर स्थान होता है, परन्तु इस पहचान के एवज में वह भागम–भाग में उलझ कर रह गयी है। जिन परिवारों में बड़े बुजुर्गों के रूप में दादा–दादी अथवा नाना–नानी का संरक्षण बच्चों को नहीं मिल पाता वहाँ बच्चों के लिए उसकी चिन्ता उसके कामकाज को प्रभावित करती है। कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त समय की माँग उसके लिए तनाववर्धक हो जाती है। अतः अपने कार्यक्षेत्र के दायित्वों की सहज सम्पन्नता में इनका योगदान पुरूषों के समकक्ष नहीं हो पाता। भारतीय संस्कृति के संदर्भ में यह स्थिति वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सत्य है। संक्रमण के इस दौर के गुज़रने के बाद भावी पीढ़ी की महिलाएँ सम्भवतः सशक्तता के अधिक उच्च प्रतिमानों को स्थापित कर सकेंगी और पुरूषों के समकक्ष स्वयं को स्थापित कर सकेंगी।

घरेलू महिला की तुलना में उच्चतर सामाजिक आर्थिक स्थिति ही वर्तमान कामकाजी महिला को मनोवैज्ञानिक रूप से उसकी व्यक्तिगत समस्याओं को नजरअन्दाज करने की क्षमता प्रदान करती है। मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण भावनाओं के विकास से सम्बन्धित होता है। इससे महिला घरेलू संदर्भों में उचित निर्णय लेने में सक्षम होती है, तथा उसके सामाजिक स्तर में उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी होती जाती है।

यद्यपि महिला चाहे घरेलू हो या कामकाजी उसकी भूमिका महत्त्वपूर्ण है, परन्तु घरेलू महिला के कार्य को कोई मूल्य निर्धारित न होने के कारण कामकाजी महिला को अधिक महत्त्व दिया जाता है, परन्तु वर्तमान कामकाजी महिलाओं में सशक्तता के साथ पनप रही 'लिव इन रिलेशनशिप' की प्रवृत्ति, अधिक उम्र में विवाह तथा विवाह के पश्चात् बच्चों की जिम्मेदारी से भय जैसे प्रश्न परिवार नामक संस्था के अस्तित्व पर प्रश्न चिह्न लगाने वाले हैं। अतः कामकाजी महिलाओं को विकास के पथ पर अग्रसर रहते हुए उपरोक्त प्रश्नों पर अवश्य विचार करना होगा तथा पुरुषों को भी घरेलू उत्तरदायित्वों के निर्वहन में अवश्य सहभागिता निभानी होगी। तभी अन्ततः महिला सशक्तता को सार्थक संदर्भों में देखा जा सकेगा।

संदर्भ सूची

1. Bhadury, Ankita and Asim Kumar Mukarjee (2015) : The status of Indian working womenin present Era, International journal of Science , technology and Management, vol.04, special issue no.01, March.
2. Gola, Maya(2016) : bhartiya pariwaro me Kamkaji mahila, Uttara, July-Sept.
3. Page, Ruth (1990) : Paths of Empowerment : Ten years of early childhood work in Israel. The Hague : Bernardvan Leer Foundation.
4. paycheck.in- 4 key social forces to improve the status of working women in India, retrived from net on 27 March 2018.
5. Planningcommission.nic.in- XII five year plan, Report of the Working Group on Women's Agency and Empowerment, Accessed on 28 March2018.
6. Rao, Behara Sriniwas : Women Empowerment and Planning Process, retrived from counterwriter.in on 28 March 2018.
7. Sodhganga.inflibnetac.in : The Status of Women in Indian Society, retrived from counterwriter.in on 27 March 2018.
8. Stromquist, Nelly P.(2005) : The Theoretical and Practical bases for Empowerment, in Women, Education and Empowerment, Discovery Publishing House, New Delhi.
9. www.naree.com- working women in India : Have their problems and status changed? retrived from net.
10. www.merinews.com- status of working women in India, retrived from net.
11. www.wcd.nic.in- Report of the working group on Empowerment of Women for the XI Plan, Ministry of WCD, Govt.of India, Accessed from net on 28 March 2018.
12. www.wcd.nic.in- Five year strategic plan (2011-16), ministry of women and child development.